न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–55/2024

राम उदगार राय वगैरह.................................वादीगण

बनाम

लालपरी देवी वगैरह..प्रतिवादीगण

30.10.25 अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सुनवाई पश्चात् वादपत्र संशोधन हेतु आवेदन दिनांक–02.08.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–08.10.2025 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान विभाजन वाद वादपत्र के मद सं0–1 पर विभाजन हेतु लाया है, परन्तु वादी अनपढ़ एवं सीधे–साधे व्यक्ति हैं जिन्हें संयुक्त परिवार के कुल सम्पत्ति का कागजात नहीं पता, जिस सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी पूर्व में वादपत्र के मद सं0–1 में बंटवारा तलब एराजी नहीं बनवाए, क्योंकि उक्त दस्तावेज का नकल वादी के पास नहीं था, जिसकी जानकारी वादी को अब हो गई है और उसका दस्तावेज भी उपलब्ध हो गया है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरुप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि सभी सम्पत्ति आ जाने से सह–हिस्सेदारी के बीच बंटवारा में सहूलियत होगी। आवेदन शपथ–पत्र से सम्पुष्ट तथा वाद–विषय का गठन नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादी का संशोधन आवेदन पोषणीय, बल्कि खारिज होने योग्य है तथा वादी को उपरोक्त आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार व कारण प्राप्त नहीं है। अत : वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद विभाजन प्रारम्भिक अवस्था में है और उपरोक्त संशोधन वादी द्वारा विवादित भूमि से संबंधित कुछ तथ्यों को संशोधित किए जाने का कथन किया गया है जिस कारण वादपत्र में संशोधन चाहते हैं जो विभाजन वाद में वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन की दृष्टि से तथा उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त संशोधन आवेदन मो0 500/– रुपये खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर आवेदनांकित अपना प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में दर्ज करें। अभिलेख अग्रतर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक–**18.11.2025** वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं सुनवाई।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।